



प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 12.08.2024

- महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत कानपुर देहात पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।
- थाना राजपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 63/2024 धारा 65(2)/127(2) बी.एन.एस व धारा 5(m)/6 पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त था ।

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस उपमहानिरीक्षक, कानपुर रेन्ज, कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में दिनांक 04.08.2024 को वादी की नाबालिग बहन उम्र करीब 06 वर्ष को बहला-फुसलाकर अपने घर मे ले जाकर दुष्कर्म का प्रयास करने के सम्बन्ध में थाना राजपुर पर मु0अ0सं0 63/2024 धारा 65(2)/127(2) बी.एन.एस व धारा 5(m)/6 पाक्सो एक्ट बनाम 01 नफर नामजद अभियुक्त रंजीत सिंह S/O मोहर सिंह निवासी ग्राम खरका थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात पंजीकृत किया गया था। वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन कर तलाश की जा रही थी, जिसमें पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 12.08.2024 को मुखबिर खास की सूचना पर वांछित अभियुक्त रंजीत सिंह S/O मोहर सिंह निवासी ग्राम खरका थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 62 वर्ष को किशनपुर जरी के रास्ते से समय लगभग 10.00 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. रंजीत सिंह S/O मोहर सिंह निवासी ग्राम खरका थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 62 वर्ष

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 63/2024 धारा 65(2)/127(2) बी.एन.एस व धारा 5(m)/6 पाक्सो एक्ट

गिरफ्तार करने वाली थाना राजपुर पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष दिनेश कुमार गौतम
2. उ0नि0 रामाशंकर पाल
3. उ0नि0 अभिषेक चौहान
4. हे0कां0 585 योगेन्द्र कुमार